प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग ।

सेवा में

(1) सभी विभागाध्यक्ष एवं
आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल

(2) हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त एवं
उप मण्डल अधिकारी (सिविल)

(3) रजिस्ट्रार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट

दिनांक, चण्डीगढ़ 2-8-1988

विषय :—सरकारी कार्य के निपटान में विलम्ब की समाप्ति ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के ध्यान में यह आया है कि कई विभागों एवं हरियाणा सिविल सचिवालय/वित्तायुक्त, राजस्व के कार्यालय की शाखाओं में मसौदों/आवतियों एवं मिसलों के निपटान में शिथिलता बरती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप एक तो सरकारी कार्य के निपटान में विलम्ब होता है तथा दूसरे आम जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि सरकार ने सरकारी कार्यालयों में सरकारी कार्य के निपटान में विलम्ब की रोकथाम/समाप्ति के लिए समय समय पर अपने पत्र क्रमांक 31/64/78-ए0 आर0, दिनांक 28.12.1978, 31/57/80-1 ए0आर0, दिनांक 18.12.80, 25/29/80-ए0 आर0; दिनांक 9.1.1981 तथा 31/24/83-ए0आर0, दिनांक 19.9.83 द्वारा हिदायतें जारी की हैं और इन हिदायतों को कई बार reiterate भी किया

गया है अपितु पत्रों/आवत्तियों एवं मिसलों के निपटान में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है जिसका सरकार द्वारा गम्भीर नोटिस लिया गया है । सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि सरकारी कार्य तथा आम जनता के कार्य को समय बद्धता के साथ निपटाया जाए जिस के द्वारा सरकार ने अपने पत्र क्रमांक : 8/12/79-ए0 आर0, दिनाँक 24-8-79 द्वारा सरकारी कार्य शीघ्रता से निपदान के लिए टाईमस शैडयूल भी निर्धारित किया हुआ है और जिसे सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 32/156/88-4 जी0 एस0, दिनांक 20-4-88 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनः दोहराया भी गया है। उपरोक्त हिदायतों में यह स्पष्ट किया गया है कि अति तत्काल/तत्काल तथा सामान्य प्रकृति के संदर्भों को तिथिबद्ध तरीके से निपटाया जाना अपेक्षित है अपितु सरकार इन उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से अनुपालन एवं कार्य के तत्परता निपटान के लिए पुनः बल देती है अन्यथा चूक कर्ताओं के विरुद्ध कड़ी प्रनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी ।

3. इन हिदायतों में निहित व्यवस्था के अनुसार विभागाध्यक्ष एवं शाखा अधिकारी अपने कार्यालय में सरकारी कार्य के शीघ्र निपटान के लिए ठीक सतर्कता वरते और पूर्ण नियन्त्रण रखें ।

हस्ता/-

उप सचिव, प्रशासकीय सुधार,

कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

प्रशासकीय सुधार विभाग ।